# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 182 राँची, बुधवार, 20 अप्रैल, 2022 (ई०)


### परिवहन विभाग

--------

अधिसूचना

19 अप्रैल, 2022

**अधिसूचना संख्या-01/परि.वि.-(ATS)-33/2021- 402** --सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं.-652 (अ), दिनांक- 23.09.2021 द्वारा स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण हेतु केन्द्रीय मोटर यान (21 वाँ संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचित किया गया है।

2. उक्त नियमावली के नियम-174 (iv) एवं (v) के आलोक में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण एवं अपीलीय प्राधिकार निम्नवत नामित किया जाता है:-

(i) नियम-174 (iv) के आलोक में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए इस अध्याय के अधीन प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने और नवीनीकृत करने हेतु "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण" के रूप में राज्य परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची को नामित किया जाता है।

(ii) नियम-174 (v) के आलोक में स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा दिए गए वाहन के परीक्षा परिणाम के विरूद्ध अपील हेतु "अपीलीय प्राधिकार" के रूप में संबंधित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी को नामित किया जाता है।

3. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**मनोज कुमार,**
अवर सचिव
परिवहन विभाग।

--------

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 182 -- 50